



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 688]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 5, 2004/श्रावण 14, 1926

No. 688]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 5, 2004/SRAVANA 14, 1926

सङ्केत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2004

का.आ. 886( अ )—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 ( 1956 का 48 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.नि.आ. 1181, तारीख 4 अप्रैल, 1957 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां स्थान आएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"1.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4, सं. 9 [ 215.8 कि.मी. से 266.4 कि.मी. ( नंदीगामा से लिजयवाड़ा ) तक को छोड़कर ] सं. 16 [ 205.0 कि.मी. से 235.0 कि.मी. ( चेन्नौर से अर्जुन गुटटा ) को छोड़कर ] सं. 43, सं. 63, सं. 202, सं. 205 और सं. 219 के आंध्र प्रदेश राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 18 और सं. 214।	आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार।"

[ पा.सं. एन.एच.—14012/3/2004-पी एंड एम ]

इंदु प्रकाश, भारतिदेशक ( सङ्केत विकास ) व विशेष सचिव

पाद टिप्पणी :— मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.नि.आ. 1181, तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संस्करण का.आ. 464( अ ), तारीख 26 अप्रैल, 2002 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2004

S.O. 886(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the then Ministry of Transport number S.R.O. 1181, dated the 4th April, 1957, namely.—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)
"1.	So much of National Highways No. 4 No. 9 [excluding from Km. 215.8 to Km. 266.4 (from Nandigama to Vijayawada)], No. 16 [excluding from Km. 205.0 to Km. 235.0 (Chennur to Arjungutta)] No. 43, No. 63, No. 202, No. 205 and No. 219 as are situated within the State of Andhra Pradesh and National Highways No. 18 and No. 214.	State Government of Andhra Pradesh."

[F. No. NH-14012/3/2004-P & M]

INDU PRAKASH, Director General (Road Development) and Spl. Secy.

**Foot Note :—** The principal notification was published in the Gazette of India vide S.R.O. 1181, dated the 4th April, 1957 and last amended vide S.O. 464(E), dated the 26th April, 2002.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2004

**का.आ. 887( अ ).**—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (1) में वर्णित राष्ट्रीय राजमार्गों के उक्त सारणी के स्तंभ (2) में इसके सामने यथा उल्लिखित तत्स्थानी खंड के उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट भूखंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है।

### सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	खंड	भूखंड कि. मी. में
(1)	(2)	(3)
9	नंदीगामा-विजयवाडा	215.8 कि.मी. से 217 कि.मी. तक

[फा.सं. एन.एच.-14012/3/2004-पी एंड एम]

इंदु प्रकाश, महानिदेशक (सड़क विकास) व विशेष सचिव

### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2004

**S.O. 887(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch, specified in column (3) of the Table annexed hereto, of the corresponding section as mentioned against it in column (2) of the said table, of the National Highway as described in column (1) of the said table, to the National Highways Authority of India.

### TABLE

National Highway Number	Section	Stretch in Kilometer
(1)	(2)	(3)
9	Nandigama-Vijayawada	From Km. 215.8 to Km. 217

[F. No. NH-14012/3/2004-P & M]

INDU PRAKASH, Director General (Road Development) and Spl. Secy.